

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-158 / 2014
संस्थित दिनांक 03.03.2014
फाईलिंग क्र.234503001872014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, परसवाड़ा

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**

/// विरुद्ध ///

सुनील पिता सूरजलाल कटरे, उम्र-32 साल,

निवासी वार्ड नंबर 08 बंजारीटोला थाना मलाजखंड जिला बालाघाट।

— — — — — **आरोपी**

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 27/03/2018 को घोषित)

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 06.02.2014 को समय 10:40 बजे स्थान फॉरेस्ट कार्यालय के सामने मेन रोड परसवाड़ा में लोकमार्ग पर वाहन आल्टो मारुति क्रमांक सी.जी.04एच.सी.3195 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत नरेन्द्र कुमार को टक्कर मारकर दाहिने पैर के घुटने में उपहति कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 06.02.2014 को सुबह लगभग 10 बजे छात्रावास से स्कूल जा रहा था, तभी फॉरेस्ट ऑफिस के सामने परसवाड़ा से लामता की तरफ जा रहे वाहन क्रमांक सी.जी.04एच.सी.3195 के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी सायकिल को टक्कर मार दिया, जिससे वह गिर गया। गिरने से उसे दाहिने पैर के घुटने में चोट आई।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, मौका नक्शा,, जप्ती एवं गिरफ्तारी की गई। आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। जप्तशुदा संपत्ति न्यायालय के आदेश से सुपुर्दनामे पर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 06.02.2014 को समय 10:40 बजे स्थान फॉरेस्ट कार्यालय के सामने मेन रोड परसवाड़ा में लोकमार्ग पर वाहन आल्टो मारुति क्रमांक सी.जी.04एच.सी.3195 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत नरेन्द्र कुमार को टक्कर मारकर दाहिने पैर के घुटने में उपहति कारित की ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी नरेन्द्र कुमार अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना 06 फरवरी, 2016 की सुबह लगभग

10:30 बजे फॉरेस्ट ऑफिस परसवाड़ा के सामने की है। घटना दिनांक को वह बालक छात्रावास परसवाड़ा से सायकिल से अपने स्कूल अपनी साईड से जा रहा था, जब वह स्कूल जाने के लिये रोड कास कर रहा था, तब परसवाड़ा से लामता तरफ जाने के लिये एक चार पहिया वाहन आया और उसकी सायकिल को टक्कर मार दिया, जिससे उसकी सायकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह गिर गया था।

06— साक्षी नरेन्द्र कुमार अ.सा.01 के अनुसार उक्त दुर्घटना में उसे दांये पैर के पीछे साईड जांघ पर चोट आई थी। उस समय चार पहिया वाहन को आरोपी चला रहा था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में प्रदर्श पी-1 दर्ज करवाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा और फिर बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

07— साक्षी नरेन्द्र कुमार अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब वह सायकिल से अचानक रोड कास कर रहा था, इस कारण घटना घटित हुई थी, घटनास्थल पर हमेशा भीड़ रहती है, घटनास्थल पर भीड़ होने के कारण वाहन धीमी गति से चलाना पड़ता है, वह अचानक गाड़ी के सामने आया था तो चार पहिया वाहन के चालक ने बचाने का प्रयास किया था और ब्रेक भी लगाया था, वह रोड कास नहीं करता तो उक्त घटना घटित नहीं होती, जिस समय घटना घटित हुई थी, उस समय वाहन कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था, उसने पुलिस को बयान देते समय आरोपी का नाम नहीं बताया था, वह आरोपी का नाम पहली बार बता रहा है तथा उक्त दुर्घटना उसकी गलती से हुई थी।

08— साक्षी मनोज ब्रम्हे अ.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी सुनील को नहीं जानता है तथा आहत नरेन्द्र को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा सूत्रक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 06.02.2014 को करीब 10:00 बजे दिन में जब वह बीजाटोला अस्पताल चौक के पास बलीराम के हॉटल पर खड़ा था, तभी बैहर तरफ से एक कार क्रमांक सी.जी.04एच.सी.3195 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक तेज चलाकर सायकिल से बीजाटोला की ओर आ रहे नरेन्द्र को टक्कर मार दिया था, उसने जाकर आहत को उठाया था, उसी समय छात्रावास के गुरुजी भी वहाँ पर आ गये थे, आरोपी सुनील वाहन कार लेकर चला गया था, उसने पुलिस को प्र.पी.03 का कथन दिया था, वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये उसे बचाने के लिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

09— साक्षी ओमप्रकाश अ.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी सुनील को नहीं जानता है। वह आहत नरेन्द्र को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पूर्व की है। घटना दिनांक को घटना के समय वह छात्रावास में था, तभी उसे सूचना मिली कि छात्रावास के एक बच्चे का चार पहिया वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना पर वह घटनास्थल पर गया था, जहाँ पर सायकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और आहत नरेन्द्र को भी चोट लगी थी। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वह वाहन घटनास्थल से चला गया था। आहत नरेन्द्र को लेकर थाना परसवाड़ा रिपोर्ट करने गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना वाहन चालक की गलती से होने की बात पता लगी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, इसलिये नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी।

10— डालीराम मसकरे अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी सुनील कटरे को नहीं जानता है। आहत नरेन्द्र उसके छात्रावास का बालक है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। सुबह के लगभग 10:15 बजे उसे सूचना मिली कि छात्रावास का बालक नरेन्द्र का कार से एक्सीडेंट हो गया और रोड पर पड़ा है। उक्त सूचना पर वह घटनास्थल पर गया और नरेन्द्र को उठाकर शासकीय अस्पताल परसवाड़ा लेकर गया था। आहत नरेन्द्र को पैर और पसली में चोट आई थी और नरेन्द्र की सायकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटनास्थल पर घटना कारित करने वाली कार नहीं थी, फिर बाद में पता लगा था कि उक्त कार सुनील कटरे की थी, जो कहीं शादी में जा रहे थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वाहन क्रमांक सी.जी.04एच.सी.3195 के चालक ने नरेन्द्र का एक्सीडेंट करके भाग गया है वाली बात पता लगी थी।

11— डालीराम मसकरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी, इसलिये नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, वह दुर्घटना कारित वाहन का नंबर नहीं बता सकता। उसने अपने बयान में पहले जो नंबर की जानकारी दी है वह आहत नरेन्द्र के बताये जाने पर बताया है। वह उक्त वाहन का नंबर नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आहत नरेन्द्र के साथ कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई थी।

12— बलिराम खरे अ.सा.05 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा आहत नरेन्द्र को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार-पांच माह पूर्व की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 06.02.2014 के सुबह 10:00 बजे जब वह अपनी दुकान पर था, तो कार क्रमांक सी.जी.04.एच.सी.3195 के चालक ने छात्रावास परसवाड़ा के नरेन्द्र को जो सायकिल पर था लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट कर दिया था, आहत नरेन्द्र अपने मसखरे गुरुजी के साथ रिपोर्ट करने थाने गया था, उसने पुलिस को प्रदर्श पी-4 का बयान दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है इसलिये उसके समक्ष घटित घटना के संबंध में न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

13— सूरजलाल कटरे अ.सा.06 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी सुनील कटरे उसका लड़का है। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी सुनील से मारुति वाहन एवं बीमा के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार करने के संबंध में कार्यवाही की थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे पुलिस का प्रदर्श पी-7 का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उक्त नोटिस के जवाब में उसने नोटिस पृष्ठ भाग पर सुनील कटरे के द्वारा सी.जी.04.3195 मारुति चलाने दिये जाने की बात लिखकर दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय से उसने उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर लिया था।

14— सूरजलाल कटरे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 उसने पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था, जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था, उसे प्रदर्श पी-7 का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था तथा पुलिस वालों ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी।

15— डॉ० हरीश कुमार मसराम अ.सा.10 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 06.02.2014 को सी.एच.सी. परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना परसवाड़ा के आरक्षक मोहरसिंह क्रमांक 1060 द्वारा आहत नरेन्द्र कुमार को लाने पर उसके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत को एक खरोंच जो कि दो गुणा दो से.मी. थी, जो दाहिने पैर के घुटने के नीचे थी। उसके मतानुसार उक्त चोट सामान्य प्रकृति की थी तथा दो से चार घंटे के भीतर की होना प्रतीत होती थी। चोट कठोर एवं खुरदुरी वस्तु से आना संभव थी। उक्त चोट को ठीक होने में एक से दो दिन का समय लग सकता है। उसकी उक्त चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर मुलाहिजा रिपोर्ट तैयार की थी, उसने झूठी मुलाहिजा रिपोर्ट तैयार किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उक्त चोट आहत को खुरदुरी वस्तु पर गिर जाने से आ सकती है।

16— खुमानसिंह पटले अ.सा.08 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसके द्वारा अल्टो मार्ट वाहन का परीक्षण दिनांक 12.02.2014 को किया गया था, जिसका नंबर सी.जी.04एस.सी.3195 था। परीक्षण में उसने पाया था कि वाहन के राईट साईड में लेकगार्ड में स्केच था एवं उसके कांच पर भी क्रेस था। वह थाने की गाड़ियों चलाता है। उसे वाहन का परीक्षण करने का अनुभव है। उसका हेवी ड्रायविंग लायसेंस भी है। उसने उक्त वाहन को चलाकर देखा था, उसके सभी पुर्जे ठीक अवस्था में थे। उसके बताये अनुसार वाहन परीक्षण की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा के विवेचक द्वारा तैयार की गई थी। फिर उसके द्वारा उस वाहन परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। उसकी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वाहन परीक्षण

रिपोर्ट उसकी हस्तलिपि में नहीं है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने वाहन चलाकर नहीं देखा था, उसने परीक्षण रिपोर्ट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर किये थे तथा उसने वाहन का परीक्षण नहीं किया था।

17— धरमसिंह मार्को आरक्षक अ.सा.07 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी सुनील कुमार को जानता है तथा प्राथी नरेन्द्र कुमार को नहीं जानता है। उसके समक्ष आरोपी सुनील कुमार से एक अल्टो मारुति मय दस्तावेजों के प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त हुई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी सुनील कुमार को प्रदर्श पी-6 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि मारुति का नंबर सी.जी.04.3195 था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना पुरानी होने के कारण उसे अल्टो मारुति का नंबर याद नहीं है।

18— धरमसिंह मार्को आरक्षक अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-5 पढ़कर नहीं देखा था। उसने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 पर हस्ताक्षर थाने में किया था। साक्षी के अनुसार तब किये थे जब जप्ती की कार्यवाही हो रही थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, आरोपी जप्ती के समय उपस्थित नहीं था, उसने रमनसिंह उईके प्रधान आरक्षक के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

19— विवेचक साक्षी रवनसिंह उईके अ.सा.09 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 06.02.2014 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 20 / 14 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा डालीराम मसकरे की निशादेही पर मौके पर जाकर मौका-नक्शा

प्रदर्श पी-02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर साक्षी डालीराम मसकरे के हस्ताक्षर हैं।

20- विवेचक साक्षी रवनसिंह उइके अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी नरेन्द्र कुमार, गवाह मनोज, बलीराम के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। उसके द्वारा दिनांक 07.02.2014 को थाना परसवाड़ा में आरोपी सुनील कुमार से साक्षी सूरजलाल और धरमसिंह के समक्ष एक अल्टो मारुति एल.एक्स.आई. सफेद रंग की जिसका क्रमांक सी.जी.04.3195 एवं सूरजलाल कटरे के नाम पर आर.सी. बुक, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं।

21- विवेचक साक्षी रवनसिंह उइके अ.सा.09 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.02.2014 को साक्षी डालीराम मसकरे एवं ओमप्रकाश बिसेन के बयान लेखबद्ध किया था। जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर सूरजलाल कटरे ने प्राप्त किया था। दिनांक 12.02.2014 को थाना परिसर परसवाड़ा में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण खुमान पटले से करवाया गया था। उसके द्वारा वाहन स्वामी को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस दिया था, जिसमें वाहन मालिक ने नोटिस के पिछले पृष्ठ पर स्वयं के द्वारा लिखित में बताया था कि उक्त वाहन क्रमांक सी.जी.04.एच.सी.3195 को सुनील कटरे वाहन चालक को चलाने दिया था, जिसमें वाहन स्वामी सूरज कटरे के हस्ताक्षर हैं।

22- विवेचक साक्षी रवनसिंह उइके अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने मौका नक्शा

प्र.पी.02 प्रार्थी नरेन्द्र तथा साक्षी डालीराम की निशादेही पर तैयार न करके थाने में अपने मन से तैयार किया था, उसने थाना परिसर परसवाड़ा में आरोपी सुनील कटरे से मारुति अल्टो कार मय दस्तावेज के गवाहों के समक्ष जप्त नहीं किया था, उसने आरोपी सुनील कटरे को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था, उसके द्वारा वाहन का परीक्षण परीक्षणकर्ता खुमान पटेल से नहीं कराया गया था, उसके द्वारा आरोपी को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस नहीं दिया गया था और ना ही आरोपी ने उक्त नोटिस का उत्तर दिया था, उसने गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार न लिखकर अपने मन से लेख कर लिया था तथा उसके द्वारा फरियादी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया था।

23— प्रकरण में स्वयं आहत साक्षी नरेन्द्र कुमार अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब वह सायकिल से अचानक रोड कास कर रहा था, इस कारण घटना घटित हुई थी, घटनास्थल पर हमेशा भीड़ रहती है, घटनास्थल पर भीड़ होने के कारण वाहन धीमी गति से चलाना पड़ता है, वह अचानक गाड़ी के सामने आया था तो चार पहिया वाहन के चालक ने बचाने का प्रयास किया था और ब्रेक भी लगाया था, वह रोड कास नहीं करता तो उक्त घटना घटित नहीं होती। प्रकरण में अन्य साक्षी ओमप्रकाश अ.सा.03 तथा डालीराम अ.सा.04 ने स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी थी।

24— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक

जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है।

25— अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता हो कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत नरेन्द्र कुमार को टक्कर मारकर दाहिने पैर के घुटने में उपहति कारित की गई। फलतः अभियुक्त सुनील कटरे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

26— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

27— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

28— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आल्टो मारुति क्रमांक सी.जी.04एच. सी.3195 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)